Encroachment/illegal occcupation of Government land in the capital

2548. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be please to state :

(a) whether Government have formulated a policy to remove/ prevent encroachments and illegal occupation of Government land in the capital ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any list of encroachments on Government land has been compiled by Government;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether Government are aware that there are heavy encroachments on Government land in Todapur and Inderpuri by furniture-makers and Building Material Stockists ; and

(f) if so, what step Government propose to take to remove those encroachments as per Government's declared policy in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) As a policy, no encroachment on government land is to be allowed to come up. The land owning agencies are responsible for protecting their land from encroachment and for taking legal steps to evict the encroachers and demolish the contractions.

A High Powered Committee set up by Delhi High Court under the Secretary in the Ministry of Urban Development has recommended *inter aiia;*

(i) setting up of Control Room and appointment of Zonal Officer in each Zone of MCD, DDA and NDMC;

(ii) Amendment of relevant statutes to provide greater deterence against encroachment and un-authorised construction;

(iii) strengthening demolition squads of DDA and local bodies; and

(iv) regular preventive action including involvement of resident association.

These recommendations are under implementation.

(c) and (d) List of encroachments on Government land has not been compiled as action to remove them is initiated as soon as it is noticed.

(e) and (f) As reported by DDA, there is one building material stockist at Todapur and action to remove him has already been initiated. How ever, DDA is not aware of any building material stockist for furniture maker in Inderpuri,

20-सूत्रीय कायक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को भूखण्डों का आवंटन

2549. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के पंचायत विभाग द्वारा 1983 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत महरौली खण्ड स्थित ग्रसौता के अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित किये गये भूखण्डों के कब्जे दे दिए गए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी हां । जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है ।

(ख) 292 पात्र व्यक्तियों को कब्जा दिया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की आबादी

2550. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की कुल आबादी कितनी है, क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरोजिनी नगर के पिलंजी गांव को भी इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत शासित किया गया था, यदि हां, तो गाय-भैंसों के कारण उत्पन्न समस्याओं, अपर्याप्त जल-निकासी प्रणाली, सफाई के अभाव तथा अवैध निर्माण की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ।

(ग) दिल्ली की गन्दी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है । और

(घ) सरकार भविष्य में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जहां तक अधिसूचित मलिन बस्ती की आबादी का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सातवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्रों में 18 लाख निवासी होने का अनुमान लगाया था ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरोजिनी नगर का पिलंजी गांव सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यह 1981 से पहले मलिन बस्ती क्षेत्र अधिसूचित कर दिया था । इस गांव के लोगों के मवेशियों के इधर उधर घूमने की रोकथाम के लिए एक चार दिवारी बनाने का प्रस्ताव नई दिल्ली नगर पालिका के विचाराधीन है । किसी भी निवासी ने अभी तक पानी के लिए निजी मीटर कनेक्शन नहीं लिया है । दस गहरे हैन्डपम्प और एक निःशुल्क सार्वजनिक बड़े नल की व्यवस्था की गई है । सफाई कार्यों के लिए काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात किये गये हैं । गांव से मवेशियों के स्थानान्तरण और अनधिकृत निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में कार्रवाई चल रही है ।

(ग) जहां तक अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्रों का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उसका स्लम विग शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरण सुधार कटरों के संरचनात्मक सुधार और पुनर्वास तथा मलिन बस्ती निवासियों के लिए पुरानी दिल्ली और इसके विस्तार क्षेत्र में फ्लैटों के निर्माण की स्कीमें चला रहा है । पर्यावरण सुधार स्कीम के अन्तर्गत, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं, क्षेत्र की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जुटाई जा रही है । कटरों के संरचनात्मक सुधार और पुनर्वास स्कीम के तहत, पुरानी दिल्ली और इसके विस्तार में स्थित स्लम सम्पदाओं/कटरों में मरम्मत करने के प्रयास किए जा रहे हैं । फ्लैटों के निर्माण की स्कीम के लिए, वर्ष 1992–93 के दौरान खतरनाक कटरों के निवासियों के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों में फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है ।

(घ) भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा अपनी भूमि को झुग्गियों के अतिक्रमण से बचाने के लिये कड़ी चौकसी बरतने की अपेक्षा की जाती है । ज्यों ही अतिक्रमण का पता चलता है, इनको हटाने के लिए स्थानीय निकायों (दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा संगत अधिनियम